भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4727

दिनांक 20 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

4727. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैदान गढ़ी में एम्स केन्द्र की स्थापना हेतु वर्ष 2024 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौता ज्ञापन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समझौता ज्ञापन के अंतर्गत एम्स के विस्तार की योजना कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान (सीएपीएफआईएमएस) के बीच सीएपीएफआईएमएस को एम्स, नई दिल्ली के परिसर के रूप में संचालित करने के लिए 8 मार्च, 2024 को एक समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन के अनुसार, एम्स सीएपीएफआईएमएस परिसर, एम्स नई दिल्ली के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करेगा और एम्स, नई दिल्ली के लिए लागू अधिनियम, नियम और विनियम के अनुसार उच्च स्तरीय चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएँ प्रदान करेगा।
